प्रा0पत्र 6ए/01/2021 न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

सरकार जरिये जरिये पवन अग्रवाल, प्रवर्तन अधिकारी, कार्यालय जिला रसद अधिकारी,भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

1–जाहिद पुत्र हारुन जाति मेव निवासी ग्राम जमालगढ़ तहसील पुन्हाना, जिला मेवात, हरियाणा
2–मालिक वाहन संख्या एचआर 74वी9150 (अज्ञात)

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित मोटर स्प्रिट एवं हाईस्पीड डीजल (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन एण्ड प्रिवेन्शन ऑफ मालप्रैक्टिस) ऑर्डर 2015 तथा पैट्रोलियम प्रोडक्श (मैन्टेनेन्स ऑफ प्रोडक्शन, स्टोरेज एण्ड सप्लाई) ऑर्डर 1999

उपस्थित :–
1–पैरोकार रसद प्रवर्तन अधिकारी,
2–श्री विमलसिंह अभिभाषक अप्रार्थी

आदेश दिनांक 22.11.2022

प्रार्थी ने यह प्रार्थना अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित मोटर स्प्रिट एवं हाईस्पीड डीजल (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन एण्ड प्रिवेन्शन ऑफ मालप्रैक्टिस) ऑर्डर 2015 तथा पैट्रोलियम प्रोडक्श (मैन्टेनेन्स ऑफ प्रोडक्शन, स्टोरेज एण्ड सप्लाई) ऑर्डर 1999 के तहत विरुद्व अप्रार्थी इस आश्य का पेश किया जो संक्षेप विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 14.1.2021 को पुलिस के द्वारा एक सफेद बोलेरो पिकअप संख्या एचआर 74 बी 9150 रुकवाकर जांच की गई उसमें 11 ड्रम तरल पैट्रोलियम उत्पाद पाया। डिटेन किये गये वाहन में 11 प्लास्टिक के नीले ड्रमों में तथा एक 55 लीटर की ड्रमी में कुल 2575 लीटर तरल पैट्रलियम उत्पाद उपलब्ध पाया जो सामान्यज्ञान के अनुसार डीजल था। पुलिस के वाहन को डिटेन करते समय वाहन चालक जाहिद पुत्र हारुन मेव उपस्थित नहीं मिला तथा पुलिस द्वारा जाहिद से प्राप्त पांच डीजल के बिल प्रस्तुत किये गये। उक्त

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

पांच बिल 1028 से 1032 तक प्रत्येक 400 लीटर मात्रा का वृन्दावन ऑटो छटीकरा मथुरा द्वारा जारी है, कुल मात्रा 2000 लीटर होती है जो दिनांक 4–1–2021 के हैं। इस प्रकार जाहिद पुत्र हारुन मेव तथा वाहन संख्या एचआर 74 वी 9150 के मालिक का मौके पर न होना, बिलों में अंकित डीजल की मात्रा एवं वाहन में उपलब्ध डीजल की मात्रा में 575 लीटर का अन्तर होना तथा वाहन का गैर तार्किक स्थान से डीजल प्राप्त करना, गैर तार्किक रास्ते पर वाहन का पाया जाना तथा साथ में 11 दिवस पूर्व के उपलब्ध मात्रा से भिन्न मात्रा के बिलों का पैट्रोलियम उत्पाद के साथ मिलना यह दर्शाता है कि उक्त बिलों की आड़ में उत्तर प्रदेश से लगभग 10 रुपये कम कीमत में डीजल खरीद कर अवैध रुप से परिवहन कर अवैध बेचान किया जा रहा है। तथा उपलब्ध मात्रा रिटेल सेल की मात्रा का भी अतिक्रमण है। इस कारण विधिवत नमूने लिये जाकर शेष 2570 लीटर डीजल एवं ड्रमों को मय वाहन संख्या एच74 बी 9150 जप्त सरकार किया जाकर पुलिस थाना जुरहरा को सुपुर्दगी मे दिया गया। जाहिद पुत्र हारुन मेव एवं अन्य का यह कृत्य मोटर स्प्रिट एवं हाईस्पीड डीजल (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन एण्ड प्रिवेन्शन ऑफ माल प्रैक्टिस ऑर्डर 2015 के खण्ड 2(एफ) 1,5,6,7 का तथा पैट्रोलियम प्रोडकश (मैन्टेनेन्स ऑफ प्रोडक्शन, स्टोरेज एण्ड सप्लाई) ऑर्डर 1999 के खण्ड 2(1) का उल्लंघन होने के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3 का उल्लंधन होने के कारण खण्ड 7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जप्त माल वाहन को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी को धारा 6बी ई.सी.एक्ट का नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से डीजल सुपुर्दकी हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी पैरोकार रसद ने अपने कथनों में प्रार्थना पत्र धारा 6 ए में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि पुलिस थाना तहरीर ई–मेल दिनांक 15.1.2021 के आधार पर दिनांक 15.1.2021 को पुलिस थाना जुरहरा द्वारा रोके गये वाहन संख्या HR74 B 9150 की मौके पर जांच की गई, वाहन में मे 11 प्लास्टिक के नीले ड्रमों में तथा एक 55 लीटर की ड्रमी में कुल 2575 लीटर तरल पैट्रोलियम उत्पाद उपलब्ध पाया गया। पुलिस द्वारा जाहिद से प्राप्त पांच डीजल के बिल प्रस्तुत किये गये जो पुराने दिनांक 4.1.2021 के वरधवान ऑटो, छटीकरा मथुरा के जारी थे जो 11 दिन पुराने हैं। पैरोकार रसद का यह भी तर्क है कि अप्रार्थी द्वारा जो डीजल खरीद के पेश किये गये हैं वे मेवात डीजल हरियाणा के तारीखी 14.1.2021 के हैं जो बाद की सोच के तहत प्रार्थी द्वारा पेश किये गये हैं। बिल 2000 लीटर के हैं मौके पर डीजल 2575 लीटर मिला है। बिल और डीजल मात्रा विरोधाभाषी है। पैराकार रसद का यह भी कहना है कि प्रार्थी ने बाद की सोच के तहत सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र अपने आप को काश्तकार बताते हुये लगाया है जब कि प्रार्थी हरियाणा उत्तर प्रदेश से सस्ता डीजल

.....3

जिला कलक्टर
मथुरा (उ0प्र0)

खरीद कर राजस्थान में बेचने का धन्धा करते हैं। उक्त बिलों की आड़ में उत्तर प्रदेश से लगभग 10 रुपये कम कीमत में डीजल खरीद कर अवैध रुप से परिवहन कर अवैध बेचान किया जा रहा है। तथा उपलब्ध मात्रा रिटेल सेल की मात्रा का भी अतिक्रमण है। प्रार्थी द्वारा यह सारी कार्यवाही बाद की सोच के तहत की गई है। पैरोकार ने अन्त में प्रार्थना की कि प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी खारिज किया जाकर जप्त माल को राजसात किया जावे।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने कथनों में जाहिर किया कि प्रवर्तन अधिकारी ने जो आरोप लगाये हैं वे गलत हैं। प्रार्थी अपनी काश्त के लिये तथा अन्य काश्तकार के कृषी कार्य हेतु हरियाणा से डीजल लेकर टेक्टर ट्रोली में लाद कर गांव ला रहा था। रास्ते में पुलिसवालों ने रोक लिया तथा कुछ बात होने पर प्रार्थी का वाहन को थाने पर खड़ा कर दिया गया। गल्त तथ्यों के आधार पर छुठा केस बनाया गया है। प्रार्थी ने डीजल खरीद के तारीखी 14.1.2021 के बिल पेश किये हैं तथा काश्तकारान के शपथ पत्र भी पेश किये हैं। प्रार्थना पत्र धारा 6ए खारिज किया जाकर प्रार्थी को डीजल तेल रिलीज किया जावे। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने हमारा ध्यान क्रि.एल.आर.(राज) 2017 पेज 1860 की ओर आकर्षित किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष के कथनों पर गोर किया। पत्रावली में उपलब्ध पत्रादि से जाहिर है कि दिनांक 14.1.21 को पुलिस थाना दौराने गश्त बोलेरो पिकअप संख्या एचआर 74 बी 9150 जांच की गई जिसमें 11 ड्रमों में डीजल भरा हुआ पाये जाने पर दिनांक 15.1.2021 को पुलिस की सूचना पर प्रवर्तन अधिकारी रसद ने मौके पहुंच कर वाहन की जॉच में 11 ड्रम एवं एक 55 लीटर की ड्रमी डीजल से भरे पाये गये जिनमें 2575 लीटर डीजल मिला। पुलिस थाना से प्राप्त बिल तारीखी 1.1.2021 के थे जो कि वरधवान ऑटोज छटीकरा मथुरा के हैं। यानि ये बिल वाहन जप्ती दिनांक से 11 दिन पूर्व के हैं, जिनके आधार पर अप्रार्थी डीजल के अवैध करावार कर रह रहा था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी ने न्यायालय मे जो बिल तारीखी 14.1.2021 पेश किये हैं वे मेवात डीजल, पुन्हाना हरियाणा के हैं। अप्रार्थी ने पुलिस थाना को वक्त जप्ती जो बिल पेश किये गये थे और न्यायालय में पेश किये गये हैं दोनों में विराधाभाषी है, अप्रार्थी की ओर से जो शपथ पत्र पेश किये गये हैं वे भी बाद की सोच के तहत पेश किये गये हैं, जो प्रार्थी की किसी प्रकार से मदद नहीं करते हैं। उक्त विवेचन से यह निर्विवाद है कि अप्रार्थी उक्त बिलों की आड़ में उत्तर प्रदेश से लगभग 10 रुपये कम कीमत में डीजल खरीद कर अवैध रुप से परिवहन कर राजस्थान में अवैध बेचान करने में लिप्त है, तथा उपलब्ध मात्रा रिटेल सेल की मात्रा का भी अतिक्रमण है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रुलिंग इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है। अप्रार्थी का यह कृत्य मोटर स्प्रिट एवं हाईस्पीड डीजल (रैग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन एण्ड प्रिवेन्शन ऑफ माल प्रैक्टिस ऑर्डर 2015 के खण्ड 2(एफ) 1,5,6,7 का तथा पैट्रोलियम प्रोडकश

.....4

जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

(मैन्टेनेन्स ऑफ प्रोडक्शन, स्टोरेज एण्ड सप्लाई) ऑर्डर 1999 के खण्ड 2(1) का उल्लंघन होने के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3 का उल्लंधन होने के कारण खण्ड 7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी खारिज किया जाकर प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र धारा स्वीकार किया जाता है। जप्त किये गये अधिक 2575 लीटर डीजल को राजसात (Confiscate) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त डीजल को नियमानुसार (एफएसएल रिपोर्ट को मध्य नजर रखते हुये) विक्रय कराया जाकर विक्रय से प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करावें। निर्णय की प्रति पालानार्थ जिला रसद अधिकारी भरतपुर को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 22–11–2022 को सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर